

Press Note

गत दिनांक 02/04/2019 को शिकायत करता नामक वनिताबेन नारणभाई टंडेल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी की के वह नानी दमन सब्जी मार्केट मे सब्जी बेचने के लिए बेथी थी, तब समय 13:00 से 14:00 के बीच मे तकरीबन 5 से 6 लोग आकर उन्हे बताया की आगे बिबलोस मार्केट के पास इलेकशन के बारे मे सभा इकठ्ठि हुई हे और सभा मे आये लोगो को पैसे बाटे जा रहे हे, ऐसा बता कर शिकायत कर्ताको बिबलोस मार्केट पर ले जाकर वापिस बताया की आपने जो ये सोने के गहने पहन रखे हे वह एक पोलिथीन की बेग मे रखकर हमे दे दे, वरना आपको पैसे नहीं दी जाएँगे और बात चित मे रख कर शिकायत कर्ता के पास से उनकी पोलिथीन की बेग मे रखे सोने के गहने जिसमे एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी कंगन और रोकड़ रूपये 3500 एवं एक Nokia मोबाइल फोन मॉडेल RH-130 और घर की चाबिया जिसकी कुल कीमत 1,14,000 की अंजान लोग चोरी कर के भाग गए है । जिसके अंतर्गत नानी दमन पो.स्टे. मे धारा 379,411, 420, r/w 34 IPC के तहत गुन्हा दर्ज किया गया ।

अपराध की गंभीरता को ध्यान मे लेते हुए महोदय DIGP दमन-दीव और दादरा नगर हवेली श्री ऋषीपाल सर, एवं महोदय SP श्री विक्रमजीत सिंग, एवं SDPO श्री रजनीकांत के मार्गदर्शन मे नानी दमन पोलिस स्टेशन एस.एच.ओ. श्री सोहील जीवाणी की नेतृत्व मे अलग-अलग टीम बनाकर अलग-अलग दिशामे गुन्हा की आगे की तफ़्तीस जारी रखते हुवे दिनांक 26/05/2019 के दिन भरूच LCB पोलिस इन्सपेक्टर श्री जयराजसिंह जाडेजा और पोलिस सब इन्सपेक्टर गढ़वी की टीम की सहायता से दमन पोलिस ने अंकलेश्वर, गुजरात से (1) बिरु राम पवार, उम्र 27 साल, (2) राजू राम पवार, उम्र 27 साल, (3) राजकुमार @ राजू किशन चौहान, उम्र 20 साल, (4) दिलीप किशन चौहान, उम्र 32 साल, (5) पुरण प्रभुलाल सेन, उम्र 29 साल सभी का पता - शांति नगर-2, झोपड़पट्टी, पीपला चोकड़ी, अंकलेश्वर, गुजरात । वाले को हिरासत मे लेकर नानी दमन पो.स्टे. मे लाया गया और पूछताछ के दौरान सभी अपराधीओने अपना जूर्म कबूल किया जिसके तहत उनकी गीरफ्तारी की गई और महेरबान कोर्ट के समक्ष पेश करने पर दिनांक 31/05/2019 तक पोलिस कस्टडी प्रदान की गई है अपराध मे सामील अन्य इसम (1) रामू काले (2) लखन काले की छानबीन जारी है और आगे की तफ़्तीस दमन पोलिस द्वारा जारी रखी गई हे ।



ISSUED BY
DAMAN POLICE